विधान परिषद के प्रथम सत्र–2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
3(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि विकास खण्डों, डलमऊ, सलोन, जगतपुर, राही, जनपद–रायबरेली में रजिस्ट्रेशन संख्या–03133129599, 03133114181, 03133121500, 3133121503, 3133225410, 0313310741422, के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दिये जाने के आवेदन किये गये हैं?	रजिस्ट्रेशन संख्या–3133129599, 3133114181, 3133121500, 3133121503, 3133225410 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन किये गये है। आवेदन सं0–313310741422 निराश्रित महिला पेंशन से सम्बन्धित है।
(ख) यदि हॉ, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि भेज दी गयी है?	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या–3133121500 द्वारा किये गये आवेदन को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदनोपरान्त लाभान्वित किया जा चुका है।
(ग) यदि हॉ, तो कब?	रजिस्ट्रेशन संख्या–3133129599 एवं 3133225410 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन किया गया है। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त दोनों आवेदन पत्रों पर पात्रता सम्बन्धी रिपोर्ट लगायी जा चुकी है तथा आवेदन पत्रों का पी0एफ0एम0एस0 रिस्पॉस प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा। रजिस्ट्रेशन संख्या–3133114181 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु किये गये आवेदन को उप जिलाधिकारी, डलमऊ द्वारा मृतक की आयु, पात्रता हेतु निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन संख्या–3133121503 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक की वार्षिक आय रू0 48000/– है, जो योजना हेतु निर्धारित वार्षिक आय रू0 46,080/– से अधिक है, जिसके कारण जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
(घ) क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे?	उक्तानुसार
(ड.) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)